राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2 सैक्टर – 17
पंचकूला, हरियाणा – 134109

Website:www.secharyana.gov.in
Email id:sec@hry.nic.in

Phone: +91172 2584810
Fax : +91 172 258 5904

Email/ Speed-Post

नगरनिकाय आम चुनाव / उप–चुनाव, 2026
अति–आवश्यक
तत्काल

क्रमांकः–रा0नि0आ0/2एम0ई0/2026/1573-84 दिनांकः– 21.04.2026

सेवा में

उपायुक्त, अम्बाला, पंचकूला, सोनीपत, रेवाडी, हिसार, रोहतक, फतेहाबाद, झज्जर, कैथल, करनाल, महेन्द्रगढ स्थित नारनौल, तथा यमुनानगर।

विषयः– नगरनिकाय के आम चुनाव / उप–चुनाव, 2026 हेतु मतपत्रों की छपाई बारे।

महोदय /महोदया,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुये यह कहने का निर्देश हुआ है कि 03 नगरनिगम, अम्बाला, पंचकूला, सोनीपत, 01 नगरपरिषद्, रेवाडी, 03 नगरपालिका, धारूहेडा जिला रेवाडी, उकलाना जिला हिसार, सांपला जिला रोहतक के महापौर / प्रधान/ सदस्यों के आम चुनाव तथा वार्ड नम्बर––13, नगरपरिषद्, झज्जर, जिला झज्जर, वार्ड नम्बर–17, नगरपरिषद्, टोहाना जिला फतेहाबाद, वार्ड नम्बर–11, नगरपालिका, राजौंद जिला कैथल, वार्ड नम्बर–09, नगरपालिका, सढौरा जिला यमुनानगर, तथा वार्ड नम्बर–08, नगरपालिका, तरावडी जिला करनाल, वार्ड नं0 14, नगरपालिका, कनीना जिला महेन्द्रगढ के उप–चुनाव, 2026 के लिये राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा क्रमश : अधिसूचना क्रमांक रा0नि0आ0 /1एम0ई0 /2026 /786, 836, दिनांक 13.04.2026 को जारी कर दी गई है। जिसके अनुसार उक्त नगरनिकाय में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आंबटन करने के पश्चात् उनकी सूची दिनांक 28.04.2026 को सम्बन्धित उपायुक्त कार्यालय द्वारा चस्पा की जानी है तथा मतदान दिनांक 10.05.2026 को होना है। उक्त

चुनाव में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्रों की छपाई राजकीय प्रैस, हरियाणा, सैक्टर–6, पंचकूला से करवाई जानी है।

2. उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये महापौर/प्रधान/सदस्य के चुनाव के लिये मतपत्रों की छपाई के सम्बन्ध में राज्य निवार्चन आयोग, हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना **NO. SEC/2ME/2025/1326,** दिनांक 09.02. 2025 की प्रति पुनः इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि आप इसकी प्रति सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि चुनाव प्रतीक आबंटन की प्रकिया का वर्णन रिटर्निंग अधिकारी की हस्तपुस्तिका में भी दिया गया है। मतपत्र हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित कमानुसार तैयार किये जाने हैं :–

(i) मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल (राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दल)
(ii) पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल
(iii) स्वतन्त्र उम्मीदवार।

4. इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा जारी आदेश कमांक एस.ई.सी. / **2एम.ई.** / **2020** / **4017–4040,** दिनांक 11.12.2020 की छाया प्रति आपको इस अनुरोध के साथ पुनः प्रेषित की जाती है कि सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। रिटर्निंग अधिकारी मतपत्र का मसौदा सोफट कापी/ कम्पयुटर से तैयार करेगा और उसे मतपत्रों की छपाई के लिये नियुक्त अधिकारी को उपलब्ध करवायेगा।

5. अतः आपसे अनुरोध है कि मतपत्रों की छपाई के लिए भेजे जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 29.04.2026 को सुबह 9. 00 बजे राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, सैक्टर–17, पंचकूला के मुख्यालय में पहुंचने बारे निर्देशित करें। सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी अपने स्टाफ को मतपत्र छपवाने के लिए भेजने से पूर्व यह हर हालात में सुनिश्चित कर लेवें कि उपरोक्त सभी वर्णित बिन्दुओं को ध्यान रखते हुये त्रुटि रहित मतपत्र का नमूना और soft copy तैयार कर ली गई है, मतपत्रों का नमूना और उसकी Soft Copy अपने स्टाफ के साथ अवश्य ही मतपत्र मुद्रित करवाने हेतु भिजवाने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त त्रुटि रहित मतपत्रों की छपाई के समस्त कार्य की जिम्मेदारी आपकी/आपके कार्यालय की होगी।

6. इसके अलावा ई.वी.एम. में प्रयोग होने वाले मतपत्र में सभी उम्मीदवारों के पश्चात् **नोटा** उम्मीदवार वाले स्थान पर <u>**इनमें से कोई नहीं**</u> छपवाया जाना है, (प्रति संलग्न) इस बारे विशेष तौर पर ध्यान रखा जाये।

7. आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि मतपत्र छपाई के लिये नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी को यह भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह आयोग के मुख्यालय से चुनाव में प्रयुक्त होने वाली अमिट स्याही भी अवश्य ही प्राप्त कर लेवें।

भवदीय,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा।

पृ.क्रमांकः– एस0ई0सी0/2एम0ई0/2026/ दिनांकः– .04.2026

इसकी प्रति नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, सैक्टर–6, पंचकूला को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि उपरोक्त नगरनिकाय के आम चुनावों / उप–चुनावों में प्रयुक्त किये जाने वाले मतपत्रों की छपाई का कार्य, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक रा0नि0आ0/1एम0ई0/2026/786, 836, दिनांक 13.04.2026 (प्रति संलग्न) के अनुसार दिनांक 29.04.2026 से शुरु होकर दिनांक 04.05.2026 तक सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा।